

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3638/

जबलपुर, दिनांक 13/08/2018

श्री मुन्ना लाल बोरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के विरुद्ध विभिन्न रिट पिटीशन के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में प्रकरणों के निर्णयात्मक आदेशों का पालन अत्यधिक विलंब से (तीन माह से 26 माह की अवधि में) करने, रजिस्ट्रार न्यायिक के आदेश दिनांक 13.07.2016 के पालन में आपके द्वारा दिनांक 25.07.2016 को मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने एवं पुनः प्रकरण रिट पिटीशन क्रमांक 17339/15 में भी लापरवाही बरतते हुये समय पर डिस्पोजल नहीं बनाने की त्रुटि कारित करने के फलस्वरूप रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/5083/दो-14-100/16 जबलपुर दिनांक 02.11.2016 द्वारा विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 में उपरोक्त आदेश क्रमांक 1 एवं 3 सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1998 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित किया जाता है।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/3639/

जबलपुर, दिनांक 13/08/2018

प्रतिनिधि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल. एण्ड आई.एल.आर./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रारो उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री मुन्ना लाल बोरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर म.प्र.

की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहार वनी)

रजिस्ट्रार (आई.एल. एण्ड आई.एल.आर.)

रिश्